कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक-2305 / FP/UK/ROAD/21822/2016:देहरादून:दिनांकः 21 फरवरी, 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषयः–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखण्ड में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 से कुण्ड (8.125 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/21822/2016**)

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 2221/12–1 दिनांक 16–02–2019

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 21–02–2019 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यू0आर0आर0डी0ए0 एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के साथ एक बैठक/कार्यशाला आयोजित की गयी। उक्त बैठक में सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु बांज/बुरांश वनों के संवर्धन एवं विकास हेतु साहयतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (A.N.R) हेतु 10.00 हे0 की स्थल विशिष्ट योजना का प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा 1.00 है0 से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त अधिरोपित की ज़ाती है। अत उक्त A.N.R स्थल के अनुसार आवश्यकता हो तो CA Estimate में इसे सम्मिलित करें। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– / FP/UK/ROAD/21822/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2, नई टिहरी को दिनांक 21–02–2019 को उपरोक्त बैठक/कार्यशाला के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मा0नि0
22/02/2019

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी